



# एग्री मैगज़ीन

(कृषि लेखों के लिए अंतरराष्ट्रीय ई-पत्रिका)

वर्ष: 03, अंक: 04 (अप्रैल, 2026)

[www.agrimagazine.in](http://www.agrimagazine.in) पर ऑनलाइन उपलब्ध

© एग्री मैगज़ीन, आई. एस. एन.: 3048-8656

## उर्वरक सब्सिडी: राहत या आर्थिक बोझ? भारत की कृषि नीति का गहन विश्लेषण

डॉ. हरकेश बलाई<sup>1</sup> एवं \*दिव्या यादव<sup>2</sup>

<sup>1</sup>असिस्टेंट प्रोफेसर, कृषि संकाय, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, चाकसू, जयपुर, राजस्थान, भारत

<sup>2</sup>छात्रा, बी.एस.सी. (ऑनर्स) कृषि, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, चाकसू, जयपुर, राजस्थान, भारत

\*संवादी लेखक का ईमेल पता: [divyayadav0558@gmail.com](mailto:divyayadav0558@gmail.com)

**भा**रत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में उर्वरक सब्सिडी एक दोहरी तलवार की तरह है। जहाँ एक ओर यह करोड़ों सीमांत किसानों को कम लागत में उत्पादन करने की शक्ति प्रदान करती है और देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है, वहीं दूसरी ओर यह सरकारी खजाने पर ₹1.6 लाख करोड़ से अधिक का वार्षिक वित्तीय बोझ भी डालती है। प्रस्तुत लेख में उर्वरक सब्सिडी के आर्थिक प्रभावों, मृदा स्वास्थ्य पर इसके असंतुलित उपयोग के परिणामों और नैनो यूरिया जैसे आधुनिक समाधानों का विश्लेषण किया गया है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि क्या वर्तमान सब्सिडी नीति टिकाऊ है या इसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

### प्रस्तावना

भारतीय कृषि में उर्वरक सब्सिडी की शुरुआत १९७० के दशक में हरित क्रांति को सफल बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों से बचाना और उन्हें सस्ती दरों पर पोषक तत्व उपलब्ध कराना था। वर्तमान में, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता है। लेकिन जैसे-जैसे वैश्विक कच्चे माल की कीमतें बढ़ रही हैं, भारत की 'सब्सिडी इकोनॉमी' एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है।

### सब्सिडी का ढांचा और बजटीय आवंटन

भारत में सब्सिडी दो मुख्य तंत्रों पर काम करती है: यूरिया के लिए सांविधिक नियंत्रण (Statutory Control) और अन्य उर्वरकों (P&K) के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS)।

### तालिका 1: उर्वरक सब्सिडी का तुलनात्मक विवरण

विवरण	वर्ष २०२३-२४ (संशोधित)	वर्ष २०२४-२५ (बजट अनुमान)
कुल उर्वरक सब्सिडी	₹१.८८ लाख करोड़	₹१.६४ लाख करोड़
यूरिया सब्सिडी	₹१.२९ लाख करोड़	₹१.१९ लाख करोड़
फॉस्फेटिक एवं पोटैशिक सब्सिडी	₹०.५९ लाख करोड़	₹०.४५ लाख करोड़

(स्रोत: केंद्रीय बजट २०२४-२५, भारत सरकार)

### राहत: छोटे किसानों का आधार

भारत के ८५% से अधिक किसान छोटे और सीमांत श्रेणी में आते हैं। उनके लिए उर्वरक की बाजार दर पर खरीदारी करना असंभव है।

- लागत में कमी: सब्सिडी के बिना यूरिया की एक बोरी की कीमत ₹२५०० से अधिक हो सकती है, जो वर्तमान में किसानों को लगभग ₹२६६.५० में मिलती है।
- खाद्य आत्मनिर्भरता: सस्ती खाद के कारण ही भारत गेहूँ और चावल के उत्पादन में वैश्विक रिकॉर्ड बना पाया है।

### आर्थिक बोझ और चुनौतियां

अत्यधिक सब्सिडी ने कुछ गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है:

- वित्तीय घाटा: सरकार के कुल राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा केवल सब्सिडी में चला जाता है, जिससे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर (सिंचाई, भंडारण) के लिए बजट कम बचता है।
- पर्यावरणीय असंतुलन: यूरिया सस्ता होने के कारण किसान इसका अधिक उपयोग करते हैं। मृदा में N:P:K का आदर्श अनुपात 4:2:1 होना चाहिए, लेकिन उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में यह 25:8:1 तक पहुंच गया है।
- मृदा क्षरण: मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो रही है और भूजल में नाइट्रेट का प्रदूषण बढ़ रहा है।

### नीतिगत सुधार और भविष्य की राह

सरकार ने इस 'बोझ' को 'निवेश' में बदलने के लिए कई कदम उठाए हैं:

- नैनो यूरिया (Liquid Nano Urea): ५०० मिली की एक बोतल एक बोरी यूरिया के बराबर काम करती है। यह न केवल सब्सिडी कम करती है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT): आधार कार्ड के माध्यम से उर्वरक की बिक्री से कालाबाजारी और औद्योगिक उपयोग के लिए होने वाली तस्करी पर लगाम लगी है।
- पी एम-प्रणाम (PM-PRANAM) योजना: यह योजना राज्यों को वैकल्पिक उर्वरकों (जैविक खाद) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करती है।

### निष्कर्ष

उर्वरक सब्सिडी को पूरी तरह खत्म करना भारतीय कृषि के लिए आत्मघाती हो सकता है, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप आर्थिक रूप से बोझिल है। समाधान "इनपुट सब्सिडी" को कम करके "प्रत्यक्ष आय सहायता" (जैसे PM-KISAN) और "नैनो तकनीक" को बढ़ावा देने में निहित है। यदि हम मृदा स्वास्थ्य और राजकोषीय स्वास्थ्य के बीच संतुलन बना पाए, तभी भारतीय कृषि वास्तव में आत्मनिर्भर बन पाएंगे।

### संदर्भ

1. उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार (वार्षिक रिपोर्ट २०२३-२४)
2. आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ (कृषि और खाद्य प्रबंधन अध्याय)
3. नीति आयोग (कृषि सुधार पर कार्यपत्रक)